



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

निगरानी

२९५२-१-१७ सन्

एस० के. शिवालय
२५/३/१७
उप निगरानी

01. रामप्रसाद तनय श्री बारेलाल आयु 60 वर्ष जाति कुर्मी
02. मोहनलाल तनय श्री जमना प्रसाद आयु 33 वर्ष
03. रतियाबाई बेवा जमना प्रसाद आयु 60 वर्ष
04. बेटीबाई बेवा बल्देवा जमना प्रसाद आयु 35 वर्ष
05. सेवालाल तनय श्री जमना प्रसाद आयु 35 वर्ष
निवासीगण ग्राम टुटका तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म०प्र०

.....निगरानीकर्ता

बनाम

01. रामचरण तनय श्री झल्लू कुर्मी आयु 70 वर्ष
02. सल्ले तनय श्री झल्लू कुर्मी
03. विहारी तनय श्री झल्लू कुर्मी
04. हल्कन कुर्मी तनय री पोटा कुर्मी
05. छबियाँ कुर्मी तनय श्री पोटा कुर्मी
06. अर्जुन कुर्मी तनय श्री पोटा कुर्मी
07. बालाजी कुर्मी तनय श्री हर प्रसाद कुर्मी
08. भागीरथ कुर्मी हरदास कुर्मी
09. रघुवर कुर्मी तनय श्री हरदास कुर्मी
10. शंकर कुर्मी तनय श्री हरदास कुर्मी

निवासीगण ग्राम टुटका तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म०प्र०

.....उत्तरवादीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०

अधीनस्थ न्यायालय -नायब तहसीलदा राजनगर मण्डल बसारी
तहसील राजनगर जिला छतरपुर म०प्र०

प्रश्नगत प्रकरण -13/अ-6-अ/2014-15

प्रश्नगत आदेश -दिनांक 11.01.2017 एवं संपूर्ण कार्यवाही

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते हैं-

निगरानी के तथ्य

01. यह कि अनावेदक क्र० 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 116, भू०रा०सं० 1959 रिकार्ड सुधार बावत पेश किया तथा निवेदन किया कि भूमि खसरा नं० 385, 387, 408, 410, 411, 412, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452,

क्रमशः // 2 //

(Handwritten signature)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

२

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-952-एक/2017

जिला छतरपुर

रामप्रसाद विरूद्ध रामचरण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-10-2018	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. प्रकरण में दिनांक 25-09-2018 को आवेदक रामप्रसाद व अन्य के अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन व अनावेदक रामचरण व अन्य के अभिभाषक श्री चंद्रेश श्रीवास्तव के द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने गये ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी आवेदक के द्वारा म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अधीनस्थ नायब तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 13/अ-6-अ/2014-15 की आदेश पंजिका दिनांक 11-01-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है । दिनांक 11-01-2017 की आदेश पंजिका पर निम्न टीप अंकित है ।</p> <p>“ प्रकरण पेश । उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक द्वारा दिनांक 09-12-2016 में मूल आवेदन का जबाव पेश किया जा चुका है ।</p> <p>प्रकरण आवेदक साक्ष्य एवं पटवारी रिपोर्ट हेतु नियत ।”</p> <p>4. उक्त आदेश न तो अंतरिम आदेश है और नही अंतिम आदेश है, अतः उपरोक्त टीप के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ नायब तहसीलदार के न्यायालय की कार्यवाही (Proceedings) में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने के कारण निगरानी निरस्त की जाती है ।</p> <p>5. उभय पक्ष अभिभाषक सूचित हो ।</p>	<p>(आर.के. जैन)</p> <p>सदस्य</p> <p>10. 2018</p>